अनुदान संख्या 98 – दमन और दीव
GRANT No. 98–DAMAN AND DIU

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	783,67,00		783,73,00	605,29,63	–178,43,37
पूरक	Supplementary	6,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					176,92,45
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	86,48,00		87,48,00	87,45,27	–2,73
पूरक	Supplementary	1,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,68

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क - गृह मंत्रालय	**A – Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	656.00	1008.67	1007.97	–0.70
पु.	R.	352.67			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
घ - विद्युत मंत्रालय	**D – Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
बिजली	Power				
मू.	O.	64001.00	42625.78	42519.73	–106.05
पु.	R.	-21375.22			
ज - स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**H - Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	1369.00	1537.25	1536.88	–0.37
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	167.25			
झ - विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	**I - Department of School Education and Literacy**				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	1646.00	2341.74	2334.80	–6.94
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	694.74			
ा -उच्च शिक्षा विभाग	**J - Department of Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	1603.00	2523.69	2515.55	–8.14
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	918.69			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
न - शहरी विकास मंत्रालय	**T - Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष ''2059'' लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	254.00	390.06	390.06	. .
पु.	R.	136.06			
मुख्य शीर्ष ''2215'' जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
पू.	S.	454.00	640.49	642.32	+1.83
पु.	R.	186.49			
मुख्य शीर्ष ''2217'' शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	1746.00	2749.43	2748.79	–0.64
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	1001.43			

(I) 68.00 लाख रु. का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''पारेषण और वितरण - अन्य व्यय - अनुरक्षण तथा मरम्मत'' के अंतर्गत 21508.50 लाख रु. की बचत (63440.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय विद्युत केंद्रों से विद्युत आहरित किए जाने पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के अनुसार विद्युत की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.68.00 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads.

(II) Under Major Head "2801" – "Transmission and Distribution – Other Expenditure – Maintenance and Repairs" – saving of Rs.21508.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.63440.00 lakhs) was due to non-purchase of power as per restriction imposed by Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for drawing power from the Central Power Stations.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 77.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 75 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाए जाने के लिए आंशिक रूप से (2369.28 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2010 में 6.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210"- "लोक स्वास्थ्य - निदेशन और प्रशासन - स्वास्थ्य सेवा निदेशालय" - 120.32 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 120.17 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2202"-

(क) "प्रारम्भिक शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - प्राथमिक विद्यालय" - 675.56 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 675.51लाख रु. था।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा" -

(i) "निजी विद्यालयों को सहायता - निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान" - 476.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 471.93 लाख रु.था।

(ii) "अन्य व्यय - "अन्य स्कीमें" - 104.40 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 104.39 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगरपालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को सहायता - दमन और दीव नगरपालिका परिषद" - 993.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 992.43 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(III) Under one head saving of Rs.77.00 lakhs occurred constituting 75 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.2369.28 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.6.00 lakhs in March, 2010 under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" – "Public Health – Direction and Administration – Directorate of Health Services" – Rs.120.32 lakhs. Actual excess, however, was Rs.120.17 lakhs.

(B) Major Head "2202" –

(a) "Elementary Education – Direction and Administration – Primary Schools" – Rs.675.56 lakhs. Actual excess, however, was Rs.675.51 lakhs.

(b) "Secondary Education" –

(i) "Assistance to Private Schools – Grants-in-aid to Private Schools" – Rs.476.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.471.93 lakhs.

(ii) "Other Expenditure – Other Schemes" – Rs.104.40 lakhs. Actual excess, however, was Rs.104.39 lakhs.

(C) Major Head "2217" – "Other Urban Development Schemes – Assistance to Municipalities/Municipal Councils – Daman and Diu Municipal Councils" – Rs.993.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.992.43 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''जिला पुलिस - दमन और दीव'' - 352.06 लाख रु. का अधिक व्यय (651.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''माध्यमिक शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - सरकारी माध्यमिक विद्यालय'' - 295.41 लाख रु. का अधिक व्यय (803.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2059'' - ''सामान्य - अनुरक्षण और मरम्मत - भवन - 145.22 लाख रु. का अधिक व्यय (182.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जमा हुई देयताओं/प्रतिबद्ध देयताओं का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2215''- ''जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - अन्य शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम''- 175.25 लाख रु. का अधिक व्यय (166.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जमा हुई देयताओं/प्रतिबद्ध देयताओं का निपटान किए जाने और दमनगंगा रिजरवायर परियोजना से दमन जिले को पेय जल की पूर्ति के लिए रख-रखाव और मरम्मत के संबंध में गुजरात सरकार को बकाया की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 54.69 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(A) Major Head "2055" – "District Police – Daman and Diu" – excess of Rs.352.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.651.00 lakhs); and

(B) Major Head "2202" – "Secondary Education – Direction and Administration – Government Secondary Schools" – excess of Rs.295.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.803.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(C) Major Head "2059" – "General – Maintenance and Repairs – Buildings" – excess of Rs.145.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.182.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for clearance of spill over liabilities/committed liabilities.

(D) Major Head "2215" – "Water Supply – Urban Water Supply Programmes – Other Urban Water Supply Programmes" – excess of Rs.175.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.166.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for clearance of spill over liabilities/committed liabilities and for outstanding payment to the Gujarat Government for maintenance and repairs for supply of drinking water from Damanganga Reservoir Project to Daman District.

(III) Under one head excess of Rs.54.69 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
ढ-सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	**N – Ministry of Micro Small and Medium Enterprises**					
मुख्य शीर्ष "4885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4885" Other Capital Outlay on Industries and Minerals					
मू.		O.	937.00	440.00	440.00	. .
पु.		R.	–497.00			
त - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**P - Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.		O.	3434.00	3215.00	3215.00	. .
पु.		R.	–219.00			
न - शहरी विकास मंत्रालय	**T - Ministry of Urban Development**					
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture					
मू.		O.	274.00	767.84	767.84	. .
पू.		S.	100.00			
पु.		R.	393.84			
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health					
मू.		O.	500.00	395.54	395.53	–0.01
पु.		R.	–104.46			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	310.00	472.00	472.00	. .
पु.	R.	162.00			
प - जल संसाधन मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4701" मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	**U – Ministry of Water Resources** Major Head "4701" Capital Outlay on Major and Medium Irrigation				
मू.	O.	10.00	260.00	260.00	. .
पु.	R.	250.00			

(I) 2.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4885" - "अन्य - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत 497.00 लाख रु. की बचत (787.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सड़कों/पुलियाओं/सड़क लाइटों/सिग्नलों/अपवहन प्रणाली जैसी औद्योगिक अवसंरचना के उन्नयन के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5054" - "जिला और अन्य सड़कें - अन्य व्यय - सड़कों तथा सेतुओं का निर्माण - 219.00 लाख रु. की बचत (3434.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "4210" - चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - भवन" के अंतर्गत 102.00 लाख रु. की बचत (495.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(I) Provision of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under Major Head "4885" – "Others – Other Expenditure – Buildings" – saving of Rs.497.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.787.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for upgrdation of industrial infrastructure like roads/culvers/streetlights/signals/drainage systems.

(III) Under Major Head "5054" – "District and Other Roads – Other Expenditure – Construction of Roads and Bridges" – saving of Rs.219.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3434.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "4210" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Buildings" – saving of Rs.102.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.495.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सभी कार्यों के पूरा होने/कोई जमा कार्य शेष न होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to completion of all works/no spill over works left.

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "4202" - "सामान्य शिक्षा - अन्य व्यय - सामान्य प्रशासन" - 391.38 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च,2010 में प्राप्त किए गए 100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 352.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दमन और दीव जिलों में माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के तत्काल मुख्य निर्माण कार्य और नवीकरण एवं निर्माण कार्य शुरू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Major Head "4202" – "General Education – Other Expenditure – General Administration" – excess of Rs.391.38 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.352.00 lakhs including supplementary grant of Rs.100.00 lakhs obtained in March, 2010) was due to requirement of additional funds for undertaking of urgent major works and renovation and construction of middle and high schools in Daman and Diu Districts.

(II) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति - निर्माण" - 134.50 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तत्काल मुख्य निर्माण कार्य शुरू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Major Head "4215" – "Water Supply – Rural Water Supply – Construction" – excess of Rs.134.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for undertaking of urgent major works.

(III) मुख्य शीर्ष "4701" - "मध्यम सिंचाई (गैर-वाणिज्यिक) - मशीनरी और उपस्कर - अन्य मदें" - 250.00 लाख रु. का अधिक व्यय (10.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तत्काल मुख्य निर्माण कार्य शुरू किए जाने और गुजरात की सरकार को दमनगंगा रिजरवायर परियोजना (नहर तंत्र) के रख-रखाव और मरम्मत लागत संबंधी अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) Major Head "4701" – "Medium Irrigation (Non-Commercial) – Machinery and Equipments – Other Items" – excess of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for undertaking of urgent major works and payment to Government of Gujarat towards the cost of maintenance and repair of Damanganga Reservoir Project (Canal network).